बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

Bihar State Power Transmission Company Limited
(निबंधित कार्यालयः—विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)
(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)
CIN-U74110 BR 2012 SGC 018889
Website:www.bsptcl.bih.inc.in
DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

का० आ० सं० – 447 दिनांकः– 23/08/2024

T/IV/Misc/Allegation-4002/2024

विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–336 दिनांक–29.04.2024 द्वारा श्री संतोष कुमार, पत्राचार लिपिक, संचरण अंचल, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध संचिकाओं को विलंब से उपस्थापित करने संबंधित निम्न आरोप प्रतिवेदित किया गया हैः–

(क) श्री नितीश शर्मा, तकनीकी कोटि–2, संचरण अवर प्रमंडल, सीतामढ़ी एवं श्री अग्निमेश कुमार, संचरण अवर प्रमंडल, बेलसंड का विज्ञापन संख्या 10/23 के तहत आयोजित झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 में भाग लेने हेतु अनुमति संबंधी आवेदन विलम्ब से उपस्थापन।

(ख) निलंबित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित विभागीय कार्यवाही की सूची एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन दिनांक–25.07.2023 के शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किये जाने के उपरांत भी प्रतिवेदन को ससमय उपस्थापित न करना।

(ग) विभिन्न कार्यालयों एवं ग्रिड उपकेन्द्रों में बाह्य नियुक्ति हेतु पदवार एवं आरक्षणवार रिक्ति (विहित प्रपत्र में) उपलब्ध कराने हेतु नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दिये गए निदेश के उपरांत दस (10) दिनों के विलंब के पश्चात उपस्थापित करना।

2. उपरोक्त आरोपों के संदर्भ में दिनांक–31.07.2023 को जब श्री कुमार को अपने नियंत्री पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में बुलाकर वस्तुस्थिति की पड़ताल की गयी तब श्री कुमार के द्वारा नियंत्री पदाधिकारी से अनावश्यक बहस किया गया एवं अपने अलमीरा का चाभी टेबल पर रखते हुए कक्ष से बाहर चले गए जबकि रुकने को कई बार कहा गया।

3. विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, मुजफ्फरपुर के कार्यालय आदेश सं०–37 दिनांक–18.10.2023 द्वारा कार्यहित में श्री कुमार का स्थानान्तरण संचरण प्रमंडल, सीतामढ़ी किया गया एवं कार्यालय आदेश सं०–53 दिनांक–23.12.2023 द्वारा कार्यहित में उक्त आदेश को तत्क्षण प्रभाव से रद्द करने के फलस्वरूप श्री कुमार के द्वारा संचरण प्रमंडल, सीतामढ़ी के संचिकाओं एवं अन्य सामग्रियों का प्रभार श्री अंजनी कुमार मिश्र, प्रधान लिपिक (का०प्र०), संचरण प्रमंडल, सीतामढ़ी को एक माह बीत जाने के बाद भी हस्तगत नहीं कराया गया।

अतः पूर्ववर्ती बोर्ड के संशोधित प्रमाणित स्थायी आदेश की कंडिका 29 'ए' की उपकंडिका 'ई' एवं 'जे' तथा 29 'बी' की उप कंडिका 'ए', 'ई', 'जे' एवं 'एस' के तहत कार्य की उपेक्षा करने एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन, अनुशासनहीनता, कार्य के प्रति लापरवाही के उक्त प्रतिवेदित प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाए गए आरोपों के लिए श्री संतोष कुमार, पत्राचार लिपिक, संचरण अंचल, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध संचालित की जाने वाली विभागीय कार्यवाही पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले उन्हें तत्क्षण प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलम्बन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय संचरण अंचल, डेहरी–ऑन–सोन निर्धारित किया जाता है।

(क०पृ०उ०)

3. निलंबन अवधि में श्री कुमार को नियमानुसार जीवन यापन भत्ता देय होगा।

आदेश से,

ह०/–
(दीपक कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक–.................................पटना, दिनांक–............................

प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, मुजफ्फरपुर/पटना/विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, मुजफ्फरपुर/डेहरी–ऑन–सोन/ लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, मुजफ्फरपुर/डेहरी–ऑन–सोन/श्री संतोष कुमार, पत्राचार लिपिक (निलंबित), संचरण अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(दीपक कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक–...2170.................पटना, दिनांक–23/08/2024

प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/डी०बी०ए० (आई०टी)/प्रशासी पदाधिकारी (ERP), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डी०बी०ए० (आई०टी) से अनुरोध है कि इस आदेश को कंपनी के वेवसाइट पर कृपया अपलोड करा दिया जाय।

23.8.24
(दीपक कुमार)
अवर सचिव